रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 87] नई दिल्ली, बुधवार, मई 10, 1978/वैशाख 20, 1900

No. 87] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 10, 1978/VAISAKHA 20, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० : 26-ई०टी०सी० (पी०एन०)/78

नई दिल्ली, 10 मई, 1978

विषय .—जंगली जन्तु और जंगली जन्तु उत्पाद, पौधे/ऑर्किड आदि के निर्यात के लिए नीति

मिसिल सं० 25 (1)/77-ई II] —भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित निर्यात (नियंत्रण) आदेश सं० ई (सी) ओ, 1977/एएम (56) दिनांक 10 मई, 1978 द्वारा यथा संशोधित निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची के भाग "क" की क्रम सं० 1 और क्रम सं० 8(12) और भाग "ख" की क्रम सं० 4 और 24 (7) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने के पश्चात् सरकार ने यह निश्चय किया है कि निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 की क्रम सं० 1 और क्रम सं० 8 (12) पर वर्णित, भाग क में सूचीबद्ध मदों का निर्यात पूर्णरूपेण बंद किया जाएगा।

3. क्रम सं० 4(1) और क्रम स० 24(7) (क) (ख) पर दर्शित अनुसूची 1 के भाग "ख" में सूचीबद्ध मदों के निर्यात की अनुमति केवल बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली के मुख्य चार पत्तनों के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी। इसलिए, भविष्य में निर्यात की अनुमति, नए आगन्तुकों सहित सभी श्रेणियों के निर्यातकों को निर्यात की अनुमति कानूनी अधिग्रहण का वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। जुलाई, 1973 के बाद जंगली जन्तु और जंगली जन्तु उत्पादों के पंजीकृत निर्यातकों की जो सूची पहले बनाई गई थी तदनुसार उसे वापस लिया जाता है। विशेष मदों के निर्यात की अनुमति किसी विशेष मद के सामने यदि कोई शर्त संकेतित की गई है, तो उसके अधीन दी जाएगी।

4. अनुसूची 1 के भाग "ख" में यथा प्रदर्शित जंगली जीवों (मृत या जीवित या उनके अंग या उनसे उत्पादित वस्तुएं, कच्ची खाल और चमड़े को छोड़कर) की जातियों के निर्यात की अनुमति केवल सम्बद्ध राज्य के मुख्य जंगली जीव वार्डन द्वारा या जहां मुख्य जंगली जीव वार्डन नियुक्त न किया गया हो वहां उन राज्यों के मुख्य अरण्यपाल द्वारा या जंगली जीव (आरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जंगली जीव के व्यापारी/विनिर्माता के लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी किए गए वैध प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर की जाएगी कि निर्यात के लिए प्रस्तुत किए गए जंगली जीव और उनके उत्पाद उदाहरणार्थ खाल और पंख आदि की अधिप्राप्ति कानूनी उपायों के माध्यम से हुई है। कच्ची खाल और चमड़े के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. अनुसूची 1 के भाग "ख" की क्रम संख्या 24 (vii) (क) 19.15 और 16 पर प्रदर्शित सौसुरिया लप्पा खट्स और डायमकोरिया डेल्टोइडिया वाल कुन्थ और डायमकोरिया इप्रांजेरी ट्यूबर के निर्यात की अनुमति सम्बद्ध मुख्य अरण्यपाल से या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से इस संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि सामग्री बागान मूल की है। लेकिन, इसके अतिरिक्त सौसरिया लप्पा और डी, डेल्टायडिया का निर्यात जंगली जीव जंतु और वनस्पति की संकटापन्न जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।

6. अनुसूची 1 के भाग "ख" की क्रम स० 24(vii) (क) (17) पर प्रदर्शित नेपनथीस खासयाना हुक एफ, के निर्यात की अनुमति पिचर के साथ केवल एक पत्ती के रूप में दी जा सकती है।

7. अनुसूची 1 के भाग "ख" की क्रम सं० 24(vii) (ख) पर प्रदर्शित कल्टिवटिड या न्यूजरी मूल के आर्किड्स के निर्यात की अनुमति मुख्य अरण्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि सामग्री कल्टिवेटिड या नौजेरी मूल की है और जंगली जीव जंतु और वनस्पति की संकटापन्न जातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के प्रावधानों के अनुसार है।

8. लेकिन क्रम 24 (vii) (क) 18 पर प्रदर्शित संसाधित शैवालफिया निर्यात की अनुमति सम्बद्ध मुख्य अरण्यपाल से या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से इस संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि सामग्री बागान मूल की है।

9. निर्यातकों को प्रत्येक मद के संबंध में मात्रा, मूल्य और गन्तव्य स्थान का स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए निर्धारित प्रपत्र में नियमित आवेदनपत्र प्रस्तुत करने होंगे और निर्यात की अनुमति ऊपर उल्लिखित लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा जारी किए निर्यात लाइसेंसों के आधार पर दी जाएगी।

10. माल लदान हो जाने के बाद प्रत्येक लाइसेंसधारी निर्यात लाइसेंस जारी करने वाले लाइसेंस प्राधिकारी को वास्तव में किए गए पोत लदानों के ब्यौरे निर्दिष्ट करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ मद, मात्रा, मूल्य और गन्तव्य स्थान भी निर्दिष्ट करेगा। इस शर्त का अनुपालन करने में असफल रहने पर सम्बद्ध व्यक्ति को वंचित कर देने के साथ-साथ कानून के अधीन दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

11 निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची 1 के भाग "क" और "ख" में शामिल न की गई किसी मद के निर्यात की अनुमति किसी लाइसेंस औपचारिकता के बिना ही विनियंत्रित आधार पर दी जाएगी।

का० वे० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 26-ETC(PN)/78

New Delhi, the 10th May, 1978

Subject :—Export of Wild Life and Wild Life Products, Plants/Orchides etc.—Policy

F. No. 25(1)/77-EII.—Attention is invited to the S. No. 1 and S. No 8(xii) of Part A and S. No. 4 and 24(vii) of Part 'B' of the Schedule to Exports (Control) Order, 1977, as amended by Exports (Control) Order No. E(C)O, 1977/AM(56) dated the 10th May, 1978, published in the Gazette of India Extraordinary.

2. On review of the situation it has been decided by the Government that export of the items listed in Part 'A', appearing at S. No. 1 and S. No. 8(xii) of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977, will be completely banned.

3. The export of items listed in Part 'B' of Schedule I, appearing at S. No. 4(i) and S. No. 24(vii)(a)(b) will be permitted by four major port licensing authorities at Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi only. Export in future will, therefore, be allowed on production of a valid certificate of legal procurement by all categories of exporters including new comers. The lists of Registered Exporters of Wild Life and Wild Life Products drawn earlier after July, 1973, have accordingly been withdrawn. The export of items will be allowed subject to the condition, if any, indicated against a particular item.

4. The export of species of Wild Life (dead or alive or part thereof or produce therefrom except raw skins and hide) as appearing in Part 'B' of Schedule I, will be allowed only on production of a valid certificate issued by the Chief Wild Life Warden of the State concerned or by the Chief Conservator of Forest of those states where the Chief Wild Life Warden has not been appointed or the officer who may be authorised by the State Government to issue Wild Animals Dealers/Manufacturers Licences under the Wild Life (Protection) Act, 1972, to the effect that the Wild Life and their products such as skins and feather etc. tendered for export have been procured through legal means. Export of raw skins and hide will not be allowed.

5. Saussurea Lappa roots and Dioscorea deltoidea wall Kunth and Dioscorea Dprozeri tuber appearing at S. No. 24(vii)(a) 19, 15 and 16 of Part 'B' of Schedule I. may be permitted for export on production of a certificate from the concerned Chief Conservator of Forest or the officer authorised by them that the material is of plantation origin. However, export of Saussurea Lappa and D. deltoidea are in addition, regulated as per provision of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

6. Nepenthes Khasiana Hook f. appearing at S. No. 24(vii)(a)(17) of Part 'B' of Schedule I, may be permitted for export as only single leaf with pitcher.

7. Orchids appearing at S. No. 24(vii)(b) of Part 'B' of Schedule I, cultivated or of neusery origin will be permitted for export on production of a certificate from the Chief Conservator of Forests or the officer authorised by them that the material is of cultivated or nursery origin and in keeping with the provisions of the Convention on International Trade in endangered species of Wild Fauna and Flora.

8. Processed Rauwolfia appears at S. No. 24(vii)(a)18 is however, permitted for export on production of a certificate from the concerned Chief Conservator of Forests or the officer authorised by them that the material of plantation origin.

9. The exporters shall be required to submit a regular application in the prescribed form clearly indicating quantity, value and destinations in respect of each items and export will be allowed on the basis of export licences issued by the above-mentioned licensing authorities.

10. After the shipment is effected, each licence holder shall intimate to the licensing authority which issued the export licence, details of the shipments actually effected indicating interalia item, quantity, value and destination. Failure to company with this condition will entail penal action under law including debarment of the person concerned.

11. The Export of items not included in any of the Parts 'A' and 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977, will be allowed on de-controlled basis without any licensing formalities.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978